माननीय न्यायमूर्ति एन. के. सोढ़ी के समक्ष

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा सरकार और अन्य, उत्तरदाता।

सी.डब्ल्यू.पी. 1994 का 16522

29 मई 1995

औद्योगिक विवाद अधिनियम। - खण्ड 33 - सी (1) और 39- 39 - उद्योग; (विकास और विनियमन) अधिनियम । 1951 खण्ड-2--- 50 प्रतिशत वापस मजदूरी के साथ बहाली का पुरस्कार - पुरस्कार के तहत देय वसूली के लिए किया गया आवेदने - श्रम आयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए I

धारा 33-सी (एल) के तहत वसूली प्रमाण पत्र जारी करना - सीमेंट कंपनी वसूली आदेश को इस आधार पर चुनौती देती है कि श्रम आयुक्त के पास सीमेंट उद्योग के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की कोई शक्ति नहीं है - भले ही यह सही आदेश था, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। अधिनिर्णय- प्रबंधन द्वारा तकनीकी याचिकाओं की निंदा, वसूली प्रमाण पत्र रद्द नहीं किया जा सकता है - धारा 33 (सी) (1) के तहत अधिकार क्षेत्र एक अंकगणितीय गणना है - पात्रता के रूप में विवाद के अभाव में, धारा 33-सी (एल) के तहत अधिकार क्षेत्र श्रम आयुक्त द्वारा प्रयोग किया जाता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया गया है कि यदि अधिनियम के प्रावधानों के साथ 18 जून, 1974 और 8 दिसंबर, 1977 की अधिसूचनाओं को पढ़ने पर भी यह निष्कर्ष निकाला जाए कि श्रम आयुक्त, हरियाणा सीमेंट उद्योग के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को सौंपा गया था। मैं श्रम आयुक्त द्वारा पारित आदेश के साथ अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप करने से इनकार करता हूं।

(पैरा 3)

यह अभिनिर्धारित किया गया गया है कि जब अधिनिर्णय को कार्यान्वित किया जाना है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि इसके कार्यान्वयन के लिए वसूली प्रमाण पत्र श्रम आयोग, हरियाणा द्वारा जारी किए गए हैं या केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। वर्तमान निगम जैसे निगम को यह शोभा नहीं देता कि वह किसी कर्मकार के अधिकारों को पराजित करने के प्रयास में ही इस प्रकार की तकनीकी दलीलें दे।

(पैरा 3)

यह अभिनिर्धारित किया गया गया है कि कि भले ही श्रम आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया जाए, यह न्यायालय प्रबंधन को निर्देश देगा जो अन्यथा एक राज्य है जब तक कि इसे रद्द नहीं किया जाता है या किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा इसके संचालन पर रोक नहीं लगाई जाती है।

(पैरा 3)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया गया है कि है कि एक पुरस्कार के आधार पर वापस मजदूरी की गणना केवल एक अंकगणितीय गणना है जिसे अधिनियम की धारा

33-सी **(**एल**)** के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा देखा जा सकता है और इस संबंध में शायद ही कोई विवाद हो सकता है। यह केवल तभी होता है जब धन का दावा करने का अधिकार विवादित होता है कि धारा **33**-सी **(**एल**)** के तहत प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को बाहर किया जा सकता है। जब तक श्रम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कायम रहता है। प्रबंधन के पास इसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

(पैरा **3)**

एस. एन. भंडन, एच. एन. मेहतानी के साथ एडवोकेट। वकील, याचिकाकर्ता के लिए।

आर. एस. मित्तल, सीनियर एडवोकेट और तरुण जैन, एडवोकेट, प्रतिवादी नंबर 10 की ओर से वकील थे। 6.

निर्णय माननीय न्यायमूर्ति एन. के. सोढ़ी

1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (संक्षेप में, प्रबंधन) द्वारा जिस बात को चुनौती दी गई है, वह है श्रम आयुक्त, हरियाणा का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) की धारा 33-सी (1) के तहत 5 अगस्त 1993 के आदेश के कार्यान्वयन में कामगार को देय राशि के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी करना।

2. भीम सैन प्रभाकर ने आरोप लगाया कि उन्हें अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 4/5 अक्टूबर, 1988 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वर्ष 1984-85 के बोनस के भुगतान के संबंध में अधिनियम की धारा 2 (के) के तहत एक औद्योगिक विवाद 1988 के संदर्भ संख्या 7 में ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित था और यह आरोप लगाया गया है कि प्रबंधन ने ट्रिब्यूनल से लिखित में स्पष्ट अनुमति प्राप्त किए बिना कर्मकार को सेवा से बर्खास्त कर दिया। कर्मकार ने अधिनियम की धारा 33-क के अंतर्गत श्रम न्यायालय में शिकायत दायर की जिसके समक्ष औद्योगिक विवाद लंबित था और उस न्यायालय ने शिकायत को अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत संदर्भित विवाद मानते हुए 5 अगस्त, 1993 को यह कहते हुए अपना निर्णय दिया कि कर्मकार को सेवा से बर्खास्त करना अवैध और गलत था। बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया गया था और प्रबंधन को निर्देश दिया गया था कि वह कामगार को सेवा की निरंतरता और अन्य परिणामी लाभों के साथ 50 प्रतिशत वापस मजदूरी के साथ बहाल करे, जिसे पुरस्कार की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर दो समान मासिक किस्तों में भुगतान किया जाना था, जिसमें विफल रहने पर कामगार को 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का हकदार माना गया था। वास्तविक भुगतान की तारीख तक पुरस्कार। प्रबंधन ने 1993 की सिविल रिट याचिका संख्या 13358 दायर करके इस फैसले को चुनौती दी है, जिसे मोशन बेंच द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसमें प्रतिवादियों को अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया है। चूंकि प्रबंधन ने अधिनिर्णय को कार्यान्वित नहीं किया, इसलिए कर्मकार ने अधिनियम की धारा 33-ग (1) के अंतर्गत उक्त अधिनिर्णय के अंतर्गत प्रबंधन से देय धन की वसूली का दावा करते हुए राज्य सरकार का रुख किया। श्रम ायुक्त, हरियाणा ने राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28 मार्च, 1994/12 अप्रैल,

1994 के एक आदेश द्वारा कर्मकार द्वारा किए गए दावे के अनुसार 71,638.55 रुपए और 12 प्रतिशत की दर से ब्याज, 17,468.25 रुपए और 44,908.30 रुपए के वसूली प्रमाण पत्र जारी किए हैं। इस आदेश को चुनौती देने के लिए प्रबंधन द्वारा 1994 की सिविल रिट याचिका संख्या 16522 दायर की गई है, लेकिन चूंकि राज्य सरकार ने इसकी एक प्रति प्रदान नहीं की, इसलिए रिट याचिका उसकी प्रति के बिना दायर की गई और इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश पर आदेश की एक प्रति प्रबंधन को प्रदान की गई जिसे अनुलग्नक आर/6/2 के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया है। कामगार ने 1983 की सिविल रिट याचिका संख्या 15834 भी दायर की है, जिसमें इस फैसले को चुनौती दी गई है, क्योंकि यह उसे वापस मजदूरी का 50 प्रतिशत देने से इनकार करता है। यह आदेश कर्मकार द्वारा दायर याचिका और 1994 की सिविल रिट याचिका 16522 का निपटारा करेगा जिसमें श्रम आयुक्त के आदेश को प्रबंधन द्वारा चुनौती दी गई है। दिनांक 5 अगस्त, 1993 के अधिनिर्णय की वैधता इन रिट याचिकाओं में मेरे समक्ष चुनौती का विषय नहीं है।

3. भंडारी ने दलील दी कि हरियाणा के श्रम आयुक्त का वसूली प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि वह याचिकाकर्ता प्रबंधन के संबंध में अधिनियम की धारा 33-सी (एल) के तहत शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जो एक सीमेंट उद्योग है, जिसके संबंध में उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार है। अपने तर्क को विस्तार से बताते हुए, विद्वान वकील ने श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 8 नवंबर, 1977 की अधिसूचना की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया, जिसके तहत सीमेंट उद्योग जिसे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 2 के तहत एक नियंत्रित उद्योग घोषित किया गया था, को अधिनियम की धारा 2 के खंड (ए) के उप-खंड (आई) के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट किया गया है। उन्होंने श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 8 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना का भी उल्लेख किया, जिसके तहत केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 39 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की कि सीमेंट उद्योग के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग सभी राज्य सरकारों द्वारा भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा राज्य ने दिनांक 18 जून, 1974 की एक अधिसूचना द्वारा अधिनियम की धारा 33-ग की उप-धारा (1) के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को श्रम आयुक्त, हरियाणा को प्रत्यायोजित किया था। यदि अधिनियम के उपबंधों के साथ-साथ इन अधिसूचनाओं को पढ़ने पर भी यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रम आयुक्त, हरियाणा सीमेंट उद्योग के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है जो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई थी। मैं श्रम आयुक्त द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के साथ अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप करने से इनकार करता हूं। इस आदेश से, श्रम आयुक्त ने केवल वसूली प्रमाण पत्र जारी करके पुरस्कार को निष्पादित किया है। निस्संदेह, पुरस्कार पार्टियों के बीच ऑपरेटिव है और प्रबंधन इसे लागू नहीं कर रहा है। जब अधिनिर्णय को कार्यान्वित किया जाना है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि इसके कार्यान्वयन के लिए वसूली प्रमाण पत्र श्रम आयुक्त, हरियाणा द्वारा जारी किए जाते हैं या केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा। वर्तमान निगम जैसे निगम को यह शोभा नहीं देता कि वह किसी कर्मकार के अधिकारों को पराजित करने के प्रयास में ही इस प्रकार की तकनीकी दलीलें दे। इन याचिकाओं में मेरे समक्ष

अधिनिर्णय को चुनौती नहीं दी गई है और इसलिए, यदि श्रम आयुक्त के आदेश को निरस्त भी कर दिया जाता है, तो भी यह न्यायालय प्रबंधन को, जो अन्यथा एक राज्य है, आदेश को लागू करने का निर्देश देगा जब तक कि इसे रद्द नहीं किया जाता है या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इसके संचालन पर रोक नहीं लगाई जाती है। वर्तमान कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश द्वारा, प्रबंधन ने कामगार को विवादित राशि का भुगतान किया है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मकार को देय मौद्रिक लाभों से संबंधित अधिनिर्णय का एक हिस्सा लागू किया गया है। भंडारी ने दलील दी कि इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और कामगार को अधिनियम की धारा 33-सी (2) के तहत अपने उपचार को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि प्रबंधन कामगार द्वारा दावा की गई राशि पर विवाद कर रहा है। इस तर्क में कोई दम नहीं है। अधिनिर्णय के आधार पर वापस मजदूरी की गणना केवल एक अंकगणितीय गणना है जिसे अधिनियम की धारा 33-सी (एल) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा देखा जा सकता है और इस संबंध में शायद ही कोई विवाद हो सकता है। यह केवल तभी होता है जब धन का दावा करने का अधिकार विवादित होता है कि धारा 33-सी (एल) के तहत प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को बाहर किया जा सकता है। यहां ऐसा नहीं है। अन्यथा भी, यह कामगार के लिए बहुत कठोर होगा यदि उसे श्रम न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी के एक और दौर के लिए प्रेरित किया जाता है। जब तक श्रम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कायम रहता है, तब तक प्रबंधन के पास इसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।

4. अब श्रमिक श्रम न्यायालय द्वारा दायर रिट याचिका पर आते हुए, बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए, उनकी बहाली का निर्देश दिया गया है, लेकिन 50 प्रतिशत वेतन वापस के साथ। 50 प्रतिशत मजदूरी इस आधार पर देने से मना कर दिया गया था कि न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होते समय कामगार ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि वह वर्ष 1988 से श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों के समक्ष विभिन्न कंपनियों के कामगारों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कामगार द्वारा की गई इस स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए, श्रम न्यायालय का यह अनुमान लगाना उचित था कि वह अपनी जबरन निष्क्रियता की अवधि के दौरान लाभप्रद रूप से नियोजित था। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्रम न्यायालयों द्वारा वापस मजदूरी प्रदान करना अनिवार्य रूप से विवेकाधिकार का विषय है। इस मामले में विवेकाधिकार के प्रयोग को मनमाना नहीं कहा जा सकता है ताकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान किया जा सके।

5. नतीजतन, किसी भी रिट याचिका में कोई दम नहीं है और दोनों को खारिज कर दिया गया है। चूंकि प्रबंधन ने अभी तक श्रम न्यायालय के दिनांक 06 अगस्त, 1993 के अधिनिर्णय को कार्यान्वित नहीं किया है, इसलिए मैं प्रबंधन को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से कुछ महीनों की अवधि के भीतर इसे कार्यान्वित करने का निदेश देता हूं। हालांकि, यह निर्देश किसी भी आदेश के अधीन होगा जो इस न्यायालय द्वारा 1993 की सिविल रिट याचिका 13358 में पारित किया जा सकता है जिसमें प्रबंधन द्वारा निर्णय को चुनौती दी गई है।

6. पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा ।